

**बिहार सरकार**  
**खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग**

**अधिसूचना**

खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, बिहार, पटना के प्रशासनिक नियंत्रण में कार्यरत बिहार प्रशासनिक सेवा के निम्नांकित जिला आपूर्ति पदाधिकारियों को उनके नाम के सामने स्तम्भ-5 में अंकित जिला में स्थानांतरित एवं पदस्थापित किया जाता है। एतद् संबंधी पूर्व में विभाग/प्रमंडलीय आयुक्त/जिला पदाधिकारी द्वारा निर्गत आदेश, यदि कोई हो, तो उसे विलोपित समझा जाय।

क्रमांक	पदाधिकारी का नाम एवं गृह जिला	गृह जिला	वर्तमान पदस्थापन स्थान	पदस्थापित स्थान
1	2	3	4	5
1	श्री मो० अंसार अहमद, बि०प्र०से०	दरभंगा	वैशाली	मधेपुरा
2	श्री अनिल कुमार रमण, बि०प्र०से०	मधुबनी	मधेपुरा	सारण, छपरा
3	श्री आदित्य कुमार पीयूष/बि०प्र०से०	सारण	गया	वैशाली

बिहार राज्यपाल के आदेश से

(विद्युभूषण चौधरी)

सरकार के उप सचिव।

ज्ञापांक- प्र०३-विविध-०८/२०१४ 5017

खाद्य, पटना/दिनांक- 30.06.15

प्रतिलिपि- सम्बन्धित प्रमंडलीय आयुक्त/जिला पदाधिकारी/सम्बन्धित उप निदेशक, खाद्य/संबन्धित कोषागार पदाधिकारी/माननीय मंत्री, खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग के आप्त सचिव/आई०टी० मैनेजर, खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, बिहार, पटना/संबन्धित जिला आपूर्ति पदाधिकारी को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

2. सभी सम्बन्धित जिला पदाधिकारियों से अनुरोध है कि स्थानांतरित पदाधिकारी को प्रतिस्थानी की प्रतीक्षा किये बिना एक सप्ताह के अन्दर स्थानांतरित स्थान में योगदान करने हेतु निश्चित रूप से विरमित करने एवं इसकी सूचना विभाग को यथाशीघ्र उपलब्ध कराने की कृपा करेंगे। यदि किसी को निर्वाचन संबंधी कार्य में लगाया गया है तो निर्वाचन कार्य की समाप्ति के बाद तत्काल विरमित कर दें।

3. जुलाई, 2015 का वेतन उपरोक्त जिला आपूर्ति पदाधिकारी नव पदस्थापित स्थान से प्राप्त करेंगे।

सरकार के उप सचिव।